

(निम्नलिखित फॉर्म केवल रेल कर्मचारियों द्वारा भर जाये)
 (The form below to be filled in by the Railway staff only)

वस्तुओं की संख्या No. of articles	विवरण Description	वजन Weight	
		कि्लोग्राम Kilograms	किलोग्राम Kgs.

दिनांक Dated..... का अग्रोक्षण नोट संख्या Forwarding Note
 दिनांक Dated..... को द्वारा जांच की गई Checked by
 दिनांक Dated..... को द्वारा वजन किया गया Weighed by
 दिनांक Dated..... को द्वारा लादा गया Loaded by
 दिनांक Dated..... को द्वारा बीजक बनाया गया Invoiced by
 जोखिम Risk.....
 के रास्ते से लाया जाये To be carried via.....
 के रास्ते का प्रसार लगाया जाये To be charged via.....

विवरण Description	वस्तुओं की संख्या No. of articles	मार्क Marks	वास्तविक वजन Actual weight		वजन विलका प्रसार लिया गया Weight Charged		श्रेणी Class	प्रति क्विंटल दर Rate per Qtl.	दत्त Paid	देय To-pay		रसीद संख्या Receipt No.	बीजक Invoice	माल डिब्बों का बयान Particulars of Wagons			
			कि्लोग्राम Kgs.	कि्लोग्राम Kgs.	कि्लोग्राम Kgs.	कि्लोग्राम Kgs.				मालिक रेलवे Owning Railway	वहन क्षमता C.C.			फर्श का क्षेत्रफल Floor Area			
			कि्लोग्राम Qtls.	कि्लोग्राम Qtls.	रु. Rs.	पैसे P.									रु. Rs.	पैसे P.	

व्याख्यात्मक टिप्पणी EXPLANATORY NOTE

- जानवरों के छोड़ जाये, मा जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रति हाथी के मामले में 6,000/-रु. प्रति घोड़ा 3,000/-रु. प्रति खच्चर, गीनत घाले पशु अथवा जंतु 800/-रु., प्रति कुत्ता, गधा, बकरी, सुअर, भेड़ अथवा अन्य पशु 120/-रु. से अधिक तब तक नहीं होगा जब तक कि दूसरी और संश्लेषण में उच्चतर मूल्य घोषित नहीं कर दिया जाता और अतिरिक्त मूल्य पर अंशित प्रतिशत प्रसार संदाय करने का वजन नहीं दे दिया जाता. यदि अधिक मूल्य की कोई घोषणा नहीं की जाती है तो प्रेषक अपना उसके एजेंट को चाहिए कि वे पूर्ण खंड को काट दें. रेल प्रशासन ऐसा कितां नुकसान अथवा क्षति के लिए दायी नहीं होगा जो, इसके बावजूद कि प्रेषक ने अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रसार संदाय किया है या नहीं, माल माड़े अथवा किसी पशु अथवा पक्षी के अधिभक्षण से अथवा प्रेषक अथवा उसके एजेंट द्वारा माल डिब्बा में किये गये अधिक खदान से हुई हो। The responsibility of a Railway Administration for loss, destruction or deterioration of the animals shall not exceed in the case of elephants Rs. 6,000 per head, horses Rs. 3,000 per head, mules, horned cattle or camels Rs. 800 per head, dogs, donkeys, pigs, sheep or other animals or birds Rs. 120 per head, unless a higher value is declared in Clause 1 overleaf and an engagement entered into to pay the required percentage charge on excess value. The entire Clause should be struck out by the sender or his agent if no declaration of higher value is made. Railway Administration will not be liable for damage or loss arising from flight or restiveness of any animals or birds or from overloading of wago; by the consignor or his Agent irrespective of whether the sender has paid the percentage charge on excess value or not.
- जब तक कि प्रेषक दूसरी ओर के खंड (2) और (3) में किसी घोषण का मूल्य घोषित नहीं करता और रेल (वित्तीय दायित्व और प्रतिशत प्रसार निर्धारण की सीमा) नियम, 1990 द्वारा स्थापित अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रसार संदाय नहीं करता, प्रेषक की क्षति, विनाश, नुकसान, क्षतिग्रस्त तथा अक्षमता के लिए रेल प्रशासन के वित्तीय दायित्व की रकम की अधिकतम सीमा नहीं होगी. Unless the consignor declares in clause (2) & (3) overleaf the value of any consignment and pays percentage charge on excess value as required by Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990 the maximum limit of monetary liability of Railway Administration for loss, destruction, damage, deterioration and non-delivery of the consignment shall not exceed:
 (क) व्यक्तिगत सामान के रूप में मुक्त किये गये पशुओं के संसंध में 100 रुपये प्रति किलो ग्राम. (a) Rs. 100 per kg. in respect of consignments booked as personal baggage.
 (ख) जानवरों और व्यक्तिगत सामान से भिन्न पशुओं के संसंध में 50 रु. प्रति किलो ग्राम. (b) Rs. 50 per kg. in respect of consignments other than animals and personal baggage.
- कोई भी रेल प्रशासन रेल (वित्तीय दायित्व और प्रतिशत प्रसार निर्धारण की सीमा) नियम, 1990 की अनुसूची-11 के भाग-1 में विनिर्दिष्ट माल क्लस करना तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि प्रेषक ऐसे माल का मूल्य घोषित नहीं कर देता और ऐसे माल के लिए यथा-यथा प्रतिशत प्रसार संदाय नहीं कर देता। No Railway Administration shall accept for carriage, the goods specified in Part-I of Schedule II of Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990, unless the consignor declares the value of such goods and pays percentage c as applicable to such goods.
- जहाँ कहीं दर सूची में किसी वस्तु के लिए भीतरी रेटिंग दर्शायी गयी है, तो यह तब तक कि निर्धारित भीतरी रेटिंग की व्यवस्था की गयी है या नहीं, फिले पृष्ठ के खंड (4) में रिकार्ड किया जाना चाहिए. प्रेषक परिकल्पना के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि फिले पृष्ठ के खंड (4) में रिकार्ड नहीं किया जाता है। Wherever internal packing condition has been shown in the Tariff against a commodity the fact whether the internal packing prescribed has been provided or not, should be recorded in Clause (4) overleaf. The consignment will not be accepted for carriage unless the declaration as per Clause 4 is recorded.
- वह घोषण जो कि पहले से ही पूरी हालत में है, परिकल्पना के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि घोषण जैसे "रेल नियमों के अनुसार फस नहीं किया गया", "दो घंटियों के तखे टूटे हुए हैं", "12 ड्रमों से रिसाव हो रहा है" आदि आदि को फिले में अक्षरों में दर्ज नहीं किया गया है और प्रेषक को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि घोषण का सही रूप ही है तो जिस मार्ग से प्रेषण की भजा जाना है, उसे फिले पृष्ठ के खंड (9) में अक्षरों में रिकार्ड किया जाना चाहिए। A consignment which is already in bad condition will not be accepted for carriage unless the exact condition e.g. "beales wet" "contents smelling" etc. etc. is recorded in Clause (6) overleaf.
- जहाँ कहीं दर सूची में किसी वस्तु के लिए कोई अतिरिक्त रेटिंग की गई दर्शायी गयी है, तो प्रेषक को परिकल्पना के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित भीतरी रेटिंग और प्रेषक के बीच कोई भी अतिरिक्त रेटिंग नहीं दर्शायी गयी है। Wherever a compulsory packing condition is prescribed in the Tariff against a commodity it shall be accepted for carriage only if the consignment is packed in accordance with the Railway rules unless the nature of the defect e.g. "not packed as per Railway rules" "12 Drums leaky", etc. etc. are recorded in Clause (4) of the Tariff.
- उच्च क्विंटल रेल जोखिम और "ओवर्स" रेटिंग की दरें प्रेषक को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेषक अपने "रेल जोखिम" शब्दों को दर्ज नहीं करता जब तक वह सबसे अधिक प्रसार संदाय करेगा अथवा संदाय करने का वजन देगा और इस आधार पर प्रसार-भूत प्रसार करेगा। When alternative railway risk and "Owens' risk" rates are quoted, the latter will apply unless the sender, in clause (8) overleaf enters the words "Railway risk" when he will pay or engage to pay the higher charge and will receive a certificate.
- जब क्विंटल रेल जोखिम और "ओवर्स" रेटिंग की दरें प्रेषक को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेषक अपने "रेल जोखिम" शब्दों को दर्ज नहीं करता जब तक वह सबसे अधिक प्रसार संदाय करेगा अथवा संदाय करने का वजन देगा और इस आधार पर प्रसार-भूत प्रसार करेगा। When alternative railway risk and "Owens' risk" rates are quoted, the latter will apply unless the sender, in clause (8) overleaf enters the words "Railway risk" when he will pay or engage to pay the higher charge and will receive a certificate.
- जब प्रेषक पर प्रसार उसके वाट के सबसे सस्ते रेटिंग मार्ग का सामान हो तो सबसे सस्ता मार्ग बंद होने पर, प्रेषण पर विल मार्ग का प्रसार लिया जाना है उसे फिले पृष्ठ के खंड (10) में रिकार्ड किया जाना चाहिए. When a consignment is to be charged via the most cheapest alternative, the consignment shall be charged via the route of which the consignment is to be charged, must be recorded in Clause (10) overleaf.
- जहाँ कहीं दर सूची में किसी वस्तु के लिए कोई अतिरिक्त रेटिंग की गई दर्शायी गयी है, तो प्रेषक को परिकल्पना के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित भीतरी रेटिंग और प्रेषक के बीच कोई भी अतिरिक्त रेटिंग नहीं दर्शायी गयी है। Wherever a compulsory packing condition is prescribed in the Tariff against a commodity it shall be accepted for carriage only if the consignment is packed in accordance with the Railway rules unless the nature of the defect e.g. "not packed as per Railway rules" "12 Drums leaky", etc. etc. are recorded in Clause (4) of the Tariff.